समक्ष-न्यायालय माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल

म.प्र. ग्वालियर शिविर भोपाल

पुनरीक्षण क्र. :–

प्रस्तुत दिनांक :– 23/2/16

पुनरीक्षणकर्ता:- गोविन्दशंकर चौरे आयु लगभग 81 वर्ष पिता स्व. रामप्रसाद चौरे, निवासी नगर पालिका हरदा ने वार्ड के नाम बदलकर क्रमशः गढ़ीपुरा, जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवनराम वार्ड क्र.8 हरदा रखा, तह. एवं जिला-हरदा (म.प्र.)

विरूद्ध

उत्तरवादी :- रमेशचन्द्र चौरे आयु लगीग 75 वर्ष पिता रामप्रसाद चौरे निवासी संत आशाराम नगर भोपाल (म.प्र.)

पुनरीक्षण याचिका अं/धारा 50 म.प्र. राजस्व संहिता 1959 ओर से

पुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षणकर्ता श्रीमान अपरआयुक्त, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा प्र.क्र. 67/निगरानी/2009-10 हरदाखास गोविन्दशंकर पिता स्व. रामप्रसाद चौरे विरूद्ध रमशेचन्द्र पिता स्व. रामप्रसाद चौरे में पारित आदेश दिनांक 04/02/2016 से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित तथ्य एवं आधारो पर यह पुनरीक्षण याचिका पेश करता है :–

"सुसंगत तथ्य"

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता की अवयस्कता में ही पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी तब से ही अवयस्कता स्थिति में माँ श्रीमती सरजूबाई संरक्षक एवं ट्रस्टी उनकी अंतिम समय तक रही।
2. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता के दादा स्व. श्री काशीराम पिता श्री नानाजी चवरे (ब्राम्हण) ने दिनांक 17/01/1945 ई. में कृषि भूमि 43.87 एकड ग्राम कडोली, पोखरनी, तह. हरसूद, जिला-निमाड़ खण्डवा की रजिस्टर्ड बक्शीसनामा द्वारा पुनरीक्षणकर्ता एवं मृतक भाई बालकृष्ण वगैरह को दे गये थे। बक्शीसनामें में अनावेदक रमेशचन्द्र का कहीं नाम नहीं है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

निगरानी–719–पीबीआर/2016 **जिला**–हरदा गोविन्द शंकर चौरे विरूद्ध रमेशचन्द्र चौरे

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
03–10–18	1. प्रकरण में दिनांक 26.09.2018 को आवेदक अभिभाषक श्री प्रेमसिंह ठाकुर मय गोविन्द शंकर चौरे उपस्थित हुये एवं उन्हें सुना गया । 2. अनावेदक रमेश चन्द्र चौरे को दिनांक 10.08.2018 को रजिस्टर्ड लिफाफा से सूचना पत्र भेजा गया, जो वापस प्राप्त न होने से उसकी तामीली मानी जायेगी। 3. प्रस्तुत निगरानी आवेदक के द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के प्रकरण क्रमांक 67/निगरानी /2009–10 गोविन्द शंकर विरूद्ध रमेश चन्द्र में पारित आदेश दिनांक 04.02.2016 से असंतुष्ट होकर भू.रा. संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 4. अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश दिनांक 04.02.2016 एवं कलेक्टर न्यायालय के आदेश दिनांक 22.12.2009 एवं तहसीलदार हरदा का आदेश दिनांक 27.12.2005 एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं आवेदक अभिभाषक के तर्कों एवं उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों पर मनन किया गया । 5. निगरानीकर्ता गोविन्द शंकर के द्वारा तहसीलदार हरदा के आदेश दिनांक 27.12.2005 के विरूद्ध कलेक्टर के न्यायालय में संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की थी एवं कलेक्टर के आदेश दिनांक 22.12.2009 के विरूद्ध अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के न्यायालय में अपील क्रमांक 67/निगरानी/2009–10 प्रस्तुत की थी, जिसमें आदेश दिनांक 04.02.2016 से परिवेदित होकर इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 6. कलेक्टर हरदा ने आदेश दिनांक 22.12.2009 द्वारा तहसीलदार नजूल हरदा को नामांतरण प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाकर निर्देश दिये गये है कि उभयपक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदाय करते हुये	

03/10/18

(3)

प्रकरण का नियमानुसार गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जाये।

अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के द्वारा प्रकरण क्रमांक 67/निगरानी/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 04.02.2016 द्वारा कलेक्टर के आदेश दिनांक 22.12.2009 में हस्तक्षेप न करते हुये उस आदेश को यथावत रखा है एवं अपील याचिका निरस्त की है।

7. अतः उपरोक्त के अध्ययन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने आदेशों में कोई निष्कर्ष नहीं दिया है एवं नामांतरण प्रकरण को विधि अनुसार गुण–दोषों के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिये है। कलेक्टर का आदेश उचित होने से अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 04.02.2016 को स्थिर (Maintain)रखा जाता है एवं अधीनस्थ तहसीलदार हरदा को निर्देशित किया जाता है कि सम्बधित सभी पक्षों को सूचना देकर प्रकरण का निराकरण विधि अनुसार गुण–दोषों के आधार पर तीन माह की अवधि में किया जाये। निगरानी आवेदन इस निर्देश के साथ निराकृत किया जाता है।

2/2

8. उभयपक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(आर.के. जैन) 03/10/18
सदस्य